

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक- एफ 6(6)/एफडी/रूल्स/2010 दिनांक:-30.05.2022 के प्रावधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर निर्देशानुसार निम्नांकित व्याख्याता को उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत किन्तु जो 1200/-रूपये प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक दिव्यांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	नाम	जन्म दिनांक	विषय व पदस्थापन स्थान	सर्टिफिकेट नं एवं दिनांक	दिव्यांगता का प्रकार	मासिक दिव्यांग वाहन भत्ता स्वीकृति दिनांक
1	2		3	4	5	6
1	सुनील कुमार झंवर	29.04.1968	व्या. वाणिज्य, राउमावि, निकुम्भ, बड़ी सादड़ी -चित्तौड़गढ़	Certificate No. SAP/2017/280436 Date-09.01.2018	41% LOCOMOTOR DISABILITY	दिनांक-19.12.2022 से

आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का दिव्यांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
 बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणी-इति/दिव्यांग वाहन भत्ता/2020-21 दिनांक:-

9.1.23

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित प्रधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक को सूचित किया जाता है की आपका मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र आपसे संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रेषित कर दिया गया है।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
 बीकानेर

सत्यमेव जयते